कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन,भवानी सिंह रोड,जयपुर-302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone: 0141-2989581 E-mail: rd-rajasthan@esic.gov.in
Website: esic.gov.in

क्रमांक : R-10010/220/2023-BFT दिनांक : 08-04-2026

परिपत्र

विषय: कारखानों/प्रतिष्ठानों में दुर्घटना के मामलों और अस्थायी अपंगता हितलाभ की उच्च दर को कम करने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक N-11011/1/2024-BFT-II दिनांक 20-03-2026 के क्रम में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और कारखानों में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और लंबी अवधि के बीमारी दावों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) जारी किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार चोट के मामलों की निगरानी करना और फर्जी दावों पर रोक लगाना है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाइयों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें :

पहचान और निगरानी
(Identification & Monitoring)

शाखा कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **दुर्घटना आवृत्ति रजिस्टर (Register of Accident Frequency):** उन कारखानों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाएँ जहाँ दुर्घटना दर अखिल भारतीय औसत से 25% या उससे अधिक है।
- **त्रैमासिक रिपोर्ट:** प्रत्येक तिमाही में बीमा मॉड्यूल से नियोक्ता-वार रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें परिसर के भीतर की दुर्घटनाओं ,आने-जाने (Commuting) के दौरान हुई दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोग का स्पष्ट विवरण हो। त्रैमासिक रिपोर्टों के आधार पर, शाखा प्रबंधक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे क्षेत्रीय निदेशक को भेजेंगे ।
- **फ़्लैगिंग / जांच** : यदि कोई कारखाना बार-बार परिसर के भीतर की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करता है, तो क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति से उसकी जांच की जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **सुधारात्मक उपाय और मुख्यालय को रिपोर्ट** : त्रैमासिक रिपोर्टों के आधार पर शाखा प्रबंधक एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे क्षेत्रीय निदेशक को भेजेंगे । जो उच्च दुर्घटना दर के कारणों की जांच करेंगे और राज्य सरकार के अधिकारियों के समन्वय से सुधारात्मक उपाय करेंगे । इसके बाद अगले वर्ष की 31 मई तक मुख्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।
- **सुरक्षा ऑडिट करवाना :** जहाँ स्थायी अपंगता लाभ (PDB), अस्थायी अपंगता लाभ (TDB) और आश्रितजन हितलाभ (DB) के दावों की दर अखिल भारतीय औसत से अधिक है, वहां क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) आयोजित करने का मामला उठाएंगे, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है ।

रिपोर्टिंग और नियोक्ता संचार
(Reporting and Employer Communication)

शाखा कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **ऑनलाइन रिपोर्टिंग:** यह सुनिश्चित करें कि सभी दुर्घटना रिपोर्ट नियोक्ताओं द्वारा केवल ऑनलाइन ही जमा की जाएं।
- **देरी की जांच:** विनियम 68 के तहत यदि घातक दुर्घटना (Fatal Accident) के मामलों में रिपोर्ट जमा करने में 24 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो अनिवार्य रूप से जांच की जाए। विलंबित या हेरफेर की गई रिपोर्टिंग का मामला नियोक्ताओं के साथ उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी देरी अक्सर संभावित हेरफेर से संबंधित होती है।
- **राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय** : सुरक्षा में चूक, लापरवाही या असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के कारण चोट लगने के मामलों में नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखा जा सकता है।
- **नियोक्ताओं की ऑनलाइन प्रोफाइलिंग** : निगरानी के उद्देश्यों के लिए बार-बार बीमारी और दुर्घटना लाभ का दावा करने वाले नियोक्ताओं की ऑनलाइन प्रोफाइलिंग की जा सकती है।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **संवाद** : क्षेत्रीय निदेशक सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित नियोक्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं और जहाँ आवश्यक हो, नियोक्ता संघों को शामिल कर सकते हैं।
- **मामला राज्य सरकार के अधिकारियों को भेजना** : यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मामले को मुख्य कारखाना निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसे अधिकारियों के पास भेजा जा सकता है।

गलत और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों पर नियंत्रण
(Control of False and Exaggerated Injury Claims)

शाखा कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **चिकित्सा जांच :** संदिग्ध मामलों या लंबे समय तक चलने वाले TDB मामलों में मेडिकल रेफरी द्वारा सत्यापन के बाद तुरंत मेडिकल बोर्ड को संदर्भित करें।
- **कानूनी जानकारी:** नियोक्ताओं को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020' की धारा 133 (o) के तहत गलत बयानी के परिणामों के बारे में सूचित करें।
- **Incapacity references की बारीकी से निगरानी** : शाखा प्रबन्धक द्वारा Incapacity references के मामलों की बारीकी से निगरानी की जा सकती है और संदिग्ध मामलों में तत्काल चिकित्सा जाँच भी करवाई जा सकती है।

जाँच और सुरक्षा अनुपालन
(Investigation and Safety Compliance)

शाखा कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **नियोक्ता स्तर पर जांच** : शाखा प्रबन्धक द्वारा यह जाँच की जाए कि दुर्घटनाओं की सूचना कारखाना निरीक्षक को उचित रूप से दी जा रही है और वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचना राज्य सरकार के अधिकारियों को देना** : असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के गैर-अनुपालन के मामलों की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत राज्य अधिकारियों को दी जा सकती है।

श्रमिक शिक्षा और जागरूकता
(Worker Education and Union Engagement)

शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय दोनों स्तरों पर कार्रवाई :

- **श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजन** : झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दुर्घटना दावों को हतोत्साहित करने के लिए श्रम अधिकारियों और कारखाने के पर्यवेक्षी कर्मचारियों (Supervisory staff) के माध्यम से श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
- **मीडिया अभियान** : सुरक्षा मानदंडों के पालन और योजना के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मीडिया अभियानों, पंपलेट्स/लीफलेट्स और ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़ाव का उपयोग किया जा सकता है।
- **स्थानीय समिति को सक्रिय करना** : निरंतर निगरानी और जागरूकता के लिए स्थानीय समितियों को सक्रिय किया जा सकता है और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।

अनुपालन और समीक्षा
(Escalation and Special Measures)

शाखा कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **तिमाही समीक्षा** : शाखा प्रबंधक प्रति तिमाही ऐसे कारखानों की समीक्षा करेंगे जहाँ दुर्घटना की प्रवृत्ति असामान्य है।
- **अभियोजन कार्यवाही प्रस्तावित करना** : धोखाधड़ी वाले दावों में संलिप्त नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन (Prosecution) की कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्रवाई :

- **अभियोजन कार्यवाही करना**: धोखाधड़ी वाले दावों में संलिप्त नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन (Prosecution) की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।

सभी शाखा प्रबन्धक उक्त निर्देशों का कड़ाई और समयबद्ध तरीके से पालन करें और ऑडिट हेतु उचित रिकॉर्ड संधारित करें ।

<u>यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।</u>

संलग्न: यथोपरि ।

Digitally signed by
VIVEK SINGH PRATIHAR
Date: 08-04-2026
12:19:38

सहायक निदेशक (हितलाभ)

प्रतिलिपि :

- समस्त शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय / डीसीबीओ , क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को समुचित कार्रवाई हेतु ।
- बीमा आयुक्त (पश्चिम अंचल) , अहमदाबाद , गुजरात को सूचनार्थ ।
- जनसम्पर्क शाखा , क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।